राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(कार्मिक-क-ग्रुप-II)

संख्या:-एफ 5(5)डीओपी/ए-II/79 दिनांक 13 जनवरी, 1993

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 18 के विद्यमान उप नियम (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) वे सरकारी कर्मचारी विभागीय परीक्षा में बैठने से मुक्त हैं जिन्होंने उस सेवा में नियुक्ति की तारीख को 45 वर्ष की आयु प्राप्त करली हो, जिसके लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जानी है।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(अलका काला)
शासन सचिव

सन्धारित,
5/1